

विवेक डोंड
अपर मुख्य सचिव
Vivek Dhand
Add. Chief Secretary



छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत, ग्रामीण विकास एवं मन विभाग
Govt. of Chhattisgarh
Panchayat, Rural Development & Labour Deptt.
सर्व शासकीय पत्र क्र० FI-75/2007/16
रायपुर, दिनांक : 28-01-2013



विषय:- बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु केन्द्रांश राशि आबंटित करने बाबत।

प्रिय श्री अ-वर-स्य,

छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2012-13 के प्रारंभ में विभिन्न प्रान्तों से विमुक्त कराये गये 1062 बंधक श्रमिकों को पुर्नवास कराया जाना शेष था। वित्तीय वर्ष 2012-13 में अन्य प्रान्तों से 54 बंधक श्रमिक विमुक्त हुए। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2012-13 के कुल 1116 बंधक श्रमिकों का पुर्नवास किया जाना है। वर्ष 2012-13 के मुख्य बजट में बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु केन्द्रांश रूपये 55.00 लाख एवं राज्यांश रूपये 55.00 लाख का बजट प्रावधानित था। कुल 1116 बंधक श्रमिकों में से 550 बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश रूपये 110.00 लाख (प्रति श्रमिक रूपये 20,000/- की मात्रा से) संबंधित जिला कलेक्टरों को आबंटित की गई है एवं बंधक श्रमिकों का पुर्नवास प्रगति पर है।

राज्य शासन द्वारा द्वितीय अनुपुरक बजट में बंधक श्रमिकों के पुर्नवास मद में राज्यांश रूपये 110.00 लाख एवं केन्द्रांश रूपये 110.00 लाख प्रावधानित किया गया है। राज्य के शेष 566 बंधक श्रमिकों का भी पुर्नवास किया जाना है।

अत आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रावधानित केन्द्रांश राशि रूपये 110.00 लाख राज्य को शीघ्र आबंटित करने का कष्ट करें, ताकि शेष 566 विमुक्त बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु संबंधित जिलों को राशि आबंटित कर समस्त विमुक्त श्रमिकों के पुर्नवास की कार्यवाही करते हुए जिला कलेक्टरों से उपयोगिता प्रमाण पत्र संकलित कर प्रेषित किया जा सके।

2/ श्री अ-वर-स्य
म व दी य

Gurint

(विवेक डोंड)

प्रति,

श्री अनिल स्वरूप,
सहायिदेशक,
भारत सरकार,
श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली